न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री मनमोहन व्यास, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 63/2016

वादी :-

1. ममता पत्नि अमराराम जाति-जाट, निवासी-डिगरना, तहसील-जैतारण, जिला-पाली (राज.)

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. उम्मेदसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह जाति-राजपुरोहित
2. भींयाराम पुत्र गणेशराम
3. आसूराम पुत्रगणेशराम जातियान-जाट,निवासीगण-बिकरलाई तहसील-जैतारण, जिला-पाली (राज.)

राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 तारीख रजू: 21/03/2016

उपस्थितः- 1. श्री रामस्वरूप चौधरी, अधिवक्ता, वादी।
2. श्री बचनाराम पन्नू, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

-:: निर्णय ::- दिनॉकः- 06/05/2019

वकील मय वादीया ने एक राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा-निम्बोल, पटवार हल्का-निम्बोल, तहसील-जैतारण में वादीया एवं प्रतिवादीगण की खरीदसुदा खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1141 रकबा 29-00 बीघा किस्म बारानी दोयम की आई हुई हैं। खरीद के बाद से वादीया आज दिन तक अपने-अपने कब्जे अनुसार काबिज होकर बिना किसी रोकटोक के काश्त करते चले आ रहे हैं। उक्त आराजी निम्बोल सरहद में आई हुई हैं। वादीया व प्रतिवादीगण के खरीद के समय ही मौके पर अपने हक हिस्से पर सभी खातेदारों आपस में समझौता कर मौखिक बंटवाड़ा कर मौके पर कब्जा प्राप्त कर लिया था तथा उसी माफिक आज दिन तक काबिज हैं तथा इस उपरोक्त वर्णित सम्पूर्ण भूमि में वादीयाकी कुल 10 बीघा भूमि आती हैं। जो मौके पर अलग से बंटी हुई हैं। नकल जमाबन्दी वादपत्र के साथ पेश की हैं। जिसे वादपत्र का एक भाग माना जावें। उक्त वर्णित आराजी वादीया एवं प्रतिवादीगण की राजस्व रेकर्डमें शामलाती आराजी हैं। जिसका कानूनन बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस् के बंटवाड़ा नहीं हो रखा हैं। मौके पर आपसी सहमति से उक्त आराजी का वादीया एवं प्रतिवादीगण अपने हिस्से अनुसार उपयोग / उपभोग कर रहे हैं तथा उक्त आराजी में वादीया की कुल 10 बीघा भूमि आती हैं एवं इसी हिस्सेनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त करती चली आ रही हैं तथा प्रतिवादीगण व वादीया ने खरीद के समय मौके पर आपसी सहमति से उक्त आराजी का बंटवाड़ा कर दिया था। परन्तु राजस्व रेकर्ड में उक्त आराजी आज दिन तक भी शामलाती चली आ रही हैं। उक्त वर्णित आराजी राजस्व रेकर्ड में शामलाती दर्ज होने, उसका कानूनन बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस् के बंटवाड़ा नहीं होने से वादीया को अनेको प्रकार की कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा हैं। जिसमें वादीया अपनी आराजी में कुआ खुदवाने, बैंक से ऋण लेने, अपनी आराजी को उपजाऊ बनाने, उसके चारों तरफ तारबन्दी करनें, खाद-बीज मिट्टी डालने में वादीया को अनेकों परेशानियों का सामना करना पड़ता हैं। इसलिए इन परेशानियों से बचने के लिये कानूनन बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस् के बंटवाड़ा बाबत् यह वाद-पत्र पेश किया हैं। उक्त वर्णित आराजी में वादीया अपनी 10-00 बीघा भूमि पर मौके पर कब्जा काश्त हैं। परन्तु प्रतिवादीगण वादीया को मौके से बेदखल कर

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

वादीया की बेसकीमती आराजी को हड़प करना चाहते हैं तथा आये दिन उसके कब्जे-काश्त में दखलन्दाजी कर रहे हैं तथा वादीया की आराजी में कब्जा करने पर उतारू हैं तथा प्रतिवादीगण वादीया की आराजी के चारों तरफ की गई मेडबन्दी को बिखेर देते हैं एवं वादीया की आराजी में पशुओं को खुला छोड़कर फसलों को नष्ट कर रहे हैं एवं आये दिन दखलन्दाजी व हस्तक्षेप करते रहते हैं तथा प्रतिवादीगण वादीया को एलानिया धमकी देते हैं कि उसको मौके से बेदखल कर सम्पूर्ण आराजी पर अकेले ही कब्जा कर लेगें एवं यदि प्रतिवादीगण अपने इन नापाक ईरादों में कामयाब हो जाते हैं एवं वादीया को मौके से बेदखल कर देते हैं तो वादीया को अपूरणीय क्षति होगी एवं वादीया अपने जायज हक व अधिकारों से महरूम हो जायेगी। इसलिये वादीया के पास अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से यह वादपत्र बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्ध प्रतिवादीगण के पेश किया हैं। दिनांक 02/03/16 को प्रतिवादीगण ने वादीया को मौके से बेदखल करने एवं अपना कब्जा जमाने की धमकी दी, तब वादीया ने प्रतिवादीगण को कहा कि आपसी रजामन्दी से उक्त आराजी का कानूनन बंटवाड़ा कर ले, जिस तरह से पूर्व में अपना बंटवाड़ा हो रखा हैं। उसी अनुसार तहसील कार्यालय में चलकर ही आपसी रजामन्दी से मौके पर बंटवाड़ा कर लेवें। परन्तु प्रतिवादीगण ईन्कार हो गये एवं वादीया को कहा कि वो धनबल के आधार पर उसे बेदखल कर सम्पूर्ण आराजी पर अपना हक व अधिकार जमा लेगें। यदि प्रतिवादीगण अपने गैरकानूनी मंसुबो में कामयाब हो जाते हैं तो वादीया को अपने साम्पैतिक हक व अधिकारों से हमेशा हमेशा के लिये महरूम होना पडेगा एवं मौके पर लडाई झगडे होगें। विवाद बढेगा। जिससे मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिंग्स बढेगी। इसलिए वादीया के पास अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से यह वादपत्र बाबत् बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्ध प्रतिवादीगण के पेश किया हैं। प्रतिवादीगण संख्या 04 तहसीलदार, जैतारण भूमिधारी राजस्थान सरकार होने से बंटवाड़ा के वाद में आवश्यक पक्षकार हैं। इसलिए उनको पक्षकार बनाया गया हैं। बिनायवाद दिनांक 02/03/16 को वादीया द्वारा प्रतिवादीगण को उक्त आराजी का बंटवाड़ा करने का कहने पर प्रतिवादीगण द्वारा इन्कार होने एवं वादीया को मौके से बेदखल करने की ऐलानिया धमकी देने से बमुकाम-निम्बोल, तहसील-जैतारण, जिला-पाली में पैदा हुआ, जो श्रीमान् के श्रवणाधिकार एवं क्षैत्राधिकार में हैं।

वादीया का दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रति0 संख्या 01 व 02 की ओर से वकालतनामा किया, जिसे सा0मि0 किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 03 को बावजूद सम्मनस् तामिली / सूचना के अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 जबाबदावा पेश करने का समय चाहते हैं। प्रतिवादी संख्या 01 व 02 जबाबदावा पेश नहीं कर उक्त वाद में बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस् के बंटवाड़ा माफिक राजस्व रेकर्ड करवाने हेतु सहमत हैं। बाद आदेशिका पर सहमति के हस्ताक्षर किये गये। बहस वकुलाय सुनी गई। बहस में वकुलाय ने जाहिर किया कि उक्त वाद में माफिक राजस्व रेकर्ड वादीया एवं प्रतिवादीगण के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस् के बंटवाड़ा किया जाने का आदेश फरमावें।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद-पत्र मय शपथ-पत्र एवं दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः वादीया एवं प्रतिवादीगण राजस्व रेकर्ड स्वयं अपने हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज हैं। वादीया एवं प्रतिवादीगण अपनी आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस तकासमा चाहते हैं। लिहाजा वादीया एवं प्रतिवादीगण के हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस् के बंटवाडा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवाडा करवाया जाना उचित समझते हैं।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

–::आदेश::–

अतः माफिक राजस्व रिकार्ड प्रा0डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा–निम्बोल, पटवार हल्का–निम्बोल, तहसील–जैतारण में वादीया एवं प्रतिवादीगण की खरीदसुदा खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1141 रकबा 29–00 बीघा किस्म बारानी दोयम की भूमि का मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा करवाया जाकर खाता व लगान अलग अलग किया जावें। मौके पर नापचौप करके नेखमबन्दी व पत्थरगढ़ी करवाई जाकर नजरी नक्शा बनाया जावें। तहसीलदार जैतारण को बंटवाड़ा करवाने हेतु अधिकृत किया जाता हैं। वादीया एवं प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त की भूमि में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण / वादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाता हैं। प्राथमिक डिक्री पृथक से बनाई जाकर सा0मि0 हो। तहसीलदार प्राथमिक डिक्री की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला–पाली (राज0)

निर्णय आज दिनांक 06/05/2019 को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला–पाली (राज0)

Scanned by CamScanner